न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :-श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :- 310/2022(जीसीएमएस दर्ज संख्या – 2022/104)

अनवान मुकदमा –

नन्दराम पुत्र ईशरराम जाति मेघवाल निवासी मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

-- वादीगण

बनाम

1. मोमनराम पुत्र ईशरराम जाति मेघवाल निवासी मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. बृजलाल पुत्र ईशरराम जाति मेघवाल निवासी मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. ओमप्रकाश पुत्र ईशरराम जाति मेघवाल निवासी मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. श्योपतराम पुत्र ईशरराम जाति मेघवाल निवासी मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. केसर देवी पत्नी दुनीराम जाति मेघवाल निवासी मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
6. ममता कुमारी पुत्र दुनीराम जाति मेघवाल निवासी मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
7. राजेश कुमार पुत्र दुनीराम जाति मेघवाल निवासी मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
8. रोशनी पुत्री ईशरराम जाति मेघवाल निवासी मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
9. अनिल कुमार पुत्र गुड्डी जाति मेघवाल निवासी मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
10. सुशील कुमार पुत्र गुड्डी जाति मेघवाल निवासी मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
11. विमला देवी पुत्री गुड्डी जाति मेघवाल निवासी मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
12. राहुल पुत्र मैना देवी जाति मेघवाल निवासी मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
13. सुमित कुमार पुत्र मैना देवी जाति मेघवाल निवासी मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
14. रमणी पुत्री मैना देवी जाति मेघवाल निवासी मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
15. सुनीता रानी पुत्री मैना देवी जाति मेघवाल निवासी मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
16. बनवारी पुत्र ईशरराम जाति मेघवाल निवासी मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर। उपतहसीलदार हिन्दुमलकोट

-- प्रतिवादीगण

23.08.2022

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

-:वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 49 ए रा.का.अधि. बाबत घोषणा एवं विनिमयः-

-:: उपस्थित अभिभाषकगण ::-

1. श्री धन्नाराम सुथार अधिवक्ता --- वादी
2. श्री विनोद बिश्नोई अधिवक्ता --- प्रतिवादी सं. 1 ता 2
3. श्री महेन्द्र सैन अधिवक्ता --- प्रतिवादी सं. 3 ता 16
4. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा --- प्रतिवादी सं. 17
5. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्री गंगानगर --- प्रतिवादी सं. 18

-:: निर्णय :-

दिनांक - 23/08/22

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 49 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता वही है जो उक्त वाद पत्र के शीर्षक में अकिंत है। वादी के परिवार की वृक्षवशांवली पेश की गई है।

वर्तमान राजस्व तहसील पीलीबंगा के चक 2 पी.बी.एन. के खाता सख्या 35 के प.नं. 58/332(30) के किला नं. 16/2/0.126, 17 ता 19 की कुल 0.885 हैक. अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि वादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

वर्तमान राजस्व तहसील गंगानगर के चक 7 डी बड़ी के खाता सं. 71 के प.नं. 0 मु.नं. 36 किला नं. 16 ता 25 की 2.454 हैक. व मु.नं. 37 किला नं. 3 ता 8, 12 ता 15 की 2.455 हैक., मु.नं. 47 किला नं. 1 ता 19 की 4.505 हैक., मु.नं. 54 किला नं. 7 ता 13, 18 ता 23 की 2.922 हैक., मु.नं. 55 किला नं. 1 की 0.253 हैक., मु.नं. 67 किला नं. 0 की 0.075 हैक., मु.नं. 67/23 किला नं. 0 की 0.114 हैक., मु. नं. 67/28 किला नं. 0 की 0.100 हैक. इसप्रकार आठ मुरब्बो की कुल. 12.878 हैक. नहरी, बारानी मय खाला खातेदारी मे वादी के नाम 92/6439 हिस्सा व प्रतिवादीगण 1 ता 5 के नाम 460/6439 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 6 ता 8 के नाम 276/19317 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 9 ता 11 के नाम 276/19317 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 12 ता 15 के नाम 92/6439 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 16 के नाम 92/6439 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्वरिकार्ड है प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संवत 2073 से 2077 व 2070 से 2076 सलंग्न वाद पत्र की गई है।

वाद पत्र की मद सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जो की वादी व प्रतिवादीगण की माता/नानी/दादी/सास समी पत्नी ईशरराम से विरास्तन में प्राप्त हुई है। उक्त कृषि भूमि वादी की पैतृक भूमि है। जिसमें वादी का प्रतिवादीगणो के साथ जन्म से हक व हिस्सा निहित है। उक्त पैतृक कृषि भूमि बाबत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 16 के मध्य अर्सा दराज पूर्व घरू बंटवारा हो चुका है। जिसमें प्रतिवादीगण सं. 1 ता 16 ने अपना-अपना समस्त हिस्सा वादी के पक्ष मे त्याग दिया है व प्रतिवादी सं. 5 ता 7 ने अपनी उपरोक्त भूमि के तबादले मे वादपत्र की दफा 3 मे वर्णित वादी के नाम की कृषि भूमि चक 2 पी.बी.एन. के खाता सं. 35 के प.नं. 58/332(30) के किला नं. 18/0.010 (पश्चिम दिशा की तरफ से), 19 की कुल 0.263 हैक. अनकमाण्ड खातेदारी को प्रतिवादी संस. 5 (केसर) ने प्राप्त की है, व प्रतिवादी सं. 16 (बनवारी) ने उपरोक्त वर्णित अपने की कृषि भूमि के तबादले मे वादपत्र की दफा 3 मे वर्णित वादी के नाम की भूमि मे से तहसील पीलीबंगा के चक 2 पी.बी.एन. के खाता सं. 35 के प.नं. 58/332(30) के किला नं. 16/2/0.126, 17/0.253 की कुल 0.379 हैक. अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्राप्त की है, इस प्रकार वादी व प्रतिवादी सं. 5, 16 को मुताबिक घरू बंटवारा कर कृषि भूमि निम्न प्रकार प्राप्त हुई है :-

23.08.2022

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

(क) वादी (नन्दराम) को तहसील गंगानगर के चक 7 डी बड़ी के खाता सं. 71 के प. नं. 0 मु.नं. 36 किला नं. 16 ता 25 की 2.454 हैक. व मु.नं. 37 किला नं. 3 ता 8, 12 ता 15 की 2.455 हैक., मु.नं. 47 किला नं. 1 ता 19 की 4.505 हैक., मु.नं. 54 किला नं. 7 ता 13, 18 ता 23 की 2.922 हैक., मु.नं. 55 किला नं. 1 की 0.253 हैक., मु.नं. 67 किला नं. 0 की 0.075 हैक., मु.नं. 67/23 किला नं. 0 की 0.114 हैक., मु.नं. 67/28 किला नं. 0 की 0.100 हैक. इसप्रकार आठ मुरब्बो की कुल. 12.878 हैक. नहरी, बारानी मय खाला खातेदारी मे से वादी को 1.840 हैक. नहरी बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्राप्त हुई है।
(ख) प्रतिवादी सं. 16 (बनवारीलाल) को तहसील पीलीबंगा के चक 2 पी.बी.एन. के खाता सं. 35 के प.नं. 58/332(30) के किला नं. 16/2/0.126, 17/0.253 की कुल 0. 379 हैक. अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्राप्त हुई है।
(ग) प्रतिवादी सं. 5 (केसर) को तहसील पीलीबंगा के चक 2 पी.बी.एन. के खाता सं. 35 के प.नं. 58/332(30) के किला नं. 18/0.010(पश्चिम दिशा की तरफ से), 19 की कुल 0.263 हैक. अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्राप्त हूई है। व वादपत्र की दफा 3 में वर्णित शेष भूमि वादी के रिकॉर्ड अनुसार यथावत रहेगी, वादी व प्रतिवादी सं. 5 व 16 को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी सं. 5 व 16 शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादी को प्राप्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगणो के नाम दर्ज होने के कारण वादी की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है इसलिये वादी खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के हकदार है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वह वादी को घरू बटवारा में प्राप्त भूमि को तहसील हाजा में चल कर वादी के नाम दर्ज करवा देवे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तो टाल मटौल करते रहे परन्तु आज से 5 रोज पूर्व वे ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया बस यही वाद कारण है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जाकर घोषित किया जावे :-

(क) वादी (नन्दराम) को तहसील गंगानगर के चक 7 डी बड़ी के खाता सं. 71 के प. नं. 0 मु.नं. 36 किला नं. 16 ता 25 की 2.454 हैक. व मु.नं. 37 किला नं. 3 ता 8, 12 ता 15 की 2.455 हैक., मु.नं. 47 किला नं. 1 ता 19 की 4.505 हैक., मु.नं. 54 किला नं. 7 ता 13, 18 ता 23 की 2.922 हैक., मु.नं. 55 किला नं. 1 की 0.253 हैक., मु.नं. 67 किला नं. 0 की 0.075 हैक., मु.नं. 67/23 किला नं. 0 की 0.114 हैक., मु.नं. 67/28 किला नं. 0 की 0.100 हैक. इसप्रकार आठ मुरब्बो की कुल. 12.878 हैक. नहरी, बारानी मय खाला खातेदारी मे से वादी को 1.840 हैक. नहरी बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्राप्त हुई है।
(ख) प्रतिवादी सं. 16 (बनवारीलाल) को तहसील पीलीबंगा के चक 2 पी.बी.एन. के खाता सं. 35 के प.नं. 58/332(30) के किला नं. 16/2/0.126, 17/0.253 की कुल 0. 379 हैक. अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्राप्त हुई है।
(ग) प्रतिवादी सं. 5 (केसर) को तहसील पीलीबंगा के चक 2 पी.बी.एन. के खाता सं. 35 के प.नं. 58/332(30) के किला नं. 18/0.010 (पश्चिम दिशा की तरफ से), 19 की कुल 0.263 हैक. अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से श्री विनोद बिश्नोई अधिवक्ता हाजिर आये तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 16 की ओर से श्री महेन्द्र सैन अधिवक्ता हाजिर आये

23.08.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

वकालतनामा पेश किया। दिनांक 28.07.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं वादी मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के वकीलों द्वारा पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्व होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। दिनांक 29.07.2022 को प्रतिवादी संख्या 3 व 16 एवं वादी मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 16 के वकीलों द्वारा पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्व होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। जवाब स्टेट प्राप्त हुए जिसे शामिल मिसल किया गया।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6 /97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषको में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है।

एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 49(1) मे स्पष्ट है कि कोई खातेदार अभिधारी जो ऐसे किसी क्षेत्र का जिसे वह जोतता है, समेकन करना चाहे तो वह सहायक कलेक्टर से उस भूमि के जसे वह जोतता है किसी भाग का किसी अन्य खातेदार अभिधारी द्वारा जोती जाने वाले भूमि से विनिमय करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

–:: आदेश ::–

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 49 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि का निम्नानुसार विनिमय किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है–

(क) वादी (नन्दराम) –

तहसील गंगानगर के चक 7 डी बड़ी के खाता सं. 71 के मु.नं. 36, मु.नं. 37, मु. नं. 47, मु.नं. 54, मु.नं. 55, मु.नं. 67, मु.नं. 67/23, मु.नं. 67/28 इस प्रकार आठ मुरब्बो की कुल. 12.878 हैक. नहरी, बारानी मय खाला खातेदारी में से

23.08.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

1.840 हैक. नहरी बारानी भूमि। इसमें से प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के नाम कल्मजन किये जाते है।

(ख) प्रतिवादी सं. 16 (बनवारीलाल)–

तहसील पीलीबंगा के चक 2 पी.बी.एन. के खाता सं. 35 के प.नं. 58/332(30) के किला नं. 16/2/0.126, 17/0.253 की कुल 0.379 हैक. अनकमाण्ड भूमि।

(ग) प्रतिवादी सं. 5 (केसर)–

तहसील पीलीबंगा के चक 2 पी.बी.एन. के खाता सं. 35 के प.नं. 58/332(30) के किला नं. 18/0.010 (पश्चिम दिशा की तरफ से), 19 की कुल 0.263 हैक. अनकमाण्ड भूमि।

चक 2 पीबीएन के खाता संख्या 35 प0न0 58/332(30) का शेष हिस्सा वादी के नाम रहेगा।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा/गंगानगर को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

23.08.2022

(रणजीत कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :– 310/2022(जीसीएमएस दर्ज संख्या – 2022/104)

अनवान मुकदमा –

नन्दराम पुत्र ईशरराम जाति मेघवाल निवासी मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

-- वादीगण

बनाम

1. मोमनराम पुत्र ईशरराम जाति मेघवाल निवासी मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. बृजलाल पुत्र ईशरराम जाति मेघवाल निवासी मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. ओमप्रकाश पुत्र ईशरराम जाति मेघवाल निवासी मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. श्योपतराम पुत्र ईशरराम जाति मेघवाल निवासी मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. केसर देवी पत्नी दुनीराम जाति मेघवाल निवासी मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
6. ममता कुमारी पुत्र दुनीराम जाति मेघवाल निवासी मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
7. राजेश कुमार पुत्र दुनीराम जाति मेघवाल निवासी मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
8. रोशनी पुत्री ईशरराम जाति मेघवाल निवासी मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
9. अनिल कुमार पुत्र गुड्डी जाति मेघवाल निवासी मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
10. सुशील कुमार पुत्र गुड्डी जाति मेघवाल निवासी मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
11. विमला देवी पुत्री गुड्डी जाति मेघवाल निवासी मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
12. राहुल पुत्र मैना देवी जाति मेघवाल निवासी मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
13. सुमित कुमार पुत्र मैना देवी जाति मेघवाल निवासी मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
14. रमणी पुत्री मैना देवी जाति मेघवाल निवासी मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
15. सुनीता रानी पुत्री मैना देवी जाति मेघवाल निवासी मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
16. बनवारी पुत्र ईशरराम जाति मेघवाल निवासी मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

23.08.2022

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर। उपतहसीलदार हिन्दुमल कोट

-- प्रतिवादीगण

-:वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 49 रा.का.अधि. बाबत घोषणा एवं विनिमय:-

निर्णय

दिनांक :- 23/08/22

वादी की ओर से श्री धन्नाराम सुथार अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से श्री विनोद बिश्नोई अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 3 व 16 की ओर से श्री महेन्द्र सैन अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को श्री रणजीत कुमार उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 की धारा 88, 49 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि के निम्नानुसार विनिमय कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है-

(क) वादी (नन्दराम) -

तहसील गंगानगर के चक 7 डी बड़ी के खाता सं. 71 के मु.नं. 36, मु.नं. 37, मु. नं. 47, मु.नं. 54, मु.नं. 55, मु.नं. 67, मु.नं. 67/23, मु.नं. 67/28 इस प्रकार आठ मुरब्बो की कुल. 12.878 हैक. नहरी, बारानी मय खाला खातेदारी में से 1.840 हैक. नहरी बारानी भूमि। इसमें से प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के नाम कल्मजन किये जाते है।

(ख) प्रतिवादी सं. 16 (बनवारीलाल)-

तहसील पीलीबंगा के चक 2 पी.बी.एन. के खाता सं. 35 के प.नं. 58/332(30) के किला नं. 16/2/0.126, 17/0.253 की कुल 0.379 हैक. अनकमाण्ड भूमि।

(ग) प्रतिवादी सं. 5 (केसर)-

तहसील पीलीबंगा के चक 2 पी.बी.एन. के खाता सं. 35 के प.नं. 58/332(30) के किला नं. 18/0.010 (पश्चिम दिशा की तरफ से), 19 की कुल 0.263 हैक. अनकमाण्ड भूमि।

चक 2 पीबीएन के खाता संख्या 35 प0न0 58/332(30) का शेष हिस्सा वादी के नाम रहेगा।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा/गंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 23/08/22 को हमारे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.08.2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा